न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 98/2022

वादीगण :-

1. श्रीमति शोभा पुत्री गोदाराम पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी जालखा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रामलाल पुत्र चिमनाराम
2. श्रीमति बालूड़ी पत्नी चुतराराम जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाडा
3. श्रीमति कमली पुत्री चिमनाराम पत्नी खीयाराम जाति जाट निवासी भगासनी तहसील बिलाडा जोधपुर
4. श्रीमति संतोष पुत्री चिमनाराम पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी रामपुरिया कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. मांगीलाल पुत्र प्रतापराम
6. नाथूराम पुत्र प्रतापराम
7. जबराराम पुत्र प्रतापराम
8. नरेश पुत्र रामजीवण
9. विजय पुत्र रामजीवण
10. सुनिल पुत्र रामजीवण जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाडा
11. श्रीमति सहिता पुत्री रामजीवण पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी रामडावास खुर्द तहसील पीपाडशहर
12. श्रीमति मैना पत्नी रामजीवण जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादी - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या-1,6 व 7 - श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट।
प्रतिवादी सं.-1 से 5, 8 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या -13 सरकारी पैरोकार।

दिनांक :- 21/09/22

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 4.3767 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.7879 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.2972 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/10 हिस्सा वादी का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-2 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-3 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-4 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-5 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-6 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-8 का तथा 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-9 का तथा 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का तथा 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-11 का तथा 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-12 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। वाद पत्र

के पैरा सं. 2 में वर्णित अनुसार वंशावली है। उपरोक्त वंशावली के अनुसार वादी तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 12 के पूर्वज पुरुष भबूतराम जी थे। भबूतराम जी के दो पुत्र चिमनाराम, प्रतापसम थे। जिनमें से चिमनाराम तथा प्रतापराम का देहान्त हो चुका है। चिमनाराम का 1/2 हिस्सा तथा प्रतापराम का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का था। चिमनाराम के उतराधिकारी उसके तीन पुत्र रामलाल, गोदाराम, चुतराराम तथा दो पुत्रीयां कमली, संतोष तथा पत्नी पतासी है जिनमें से गोदाराम, चुतराराम तथा पतासी का देहान्त हो चुका है। गोदाराम के उतराधिकारी उसके एकमात्र पुत्री वादी शोभा है तथा इसी प्रकार चुत्तराराम की उतराधिकारी उसकी पत्नी बालूड़ी है, तथा इसी प्रकार पतासी के उतराधिकारी वादी तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 4 है। इस प्रकार दावे के पद संख्या-1 में वर्णित भूमि में वादी का 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 का 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-2 का 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-3 का 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-4 का 1/10 वा हिस्सा जरिये उतराधिकार बनता है। इसी प्रकार प्रतापराम के उतराधिकारी उसके चार पुत्र मागीलाल, नाथूराम, जबराराम, रामजीवण तथा पत्नी रम्मा है जिनमें से रामजीवण व रम्मा का देहान्त हो चुका है। रामजीवण के उत्तराधिकारी उसके तीन पुत्र नरेश, विजय, सुनिल तथा पुत्री सहिता तथा पत्नी मैना है, तथा इसी प्रकार रम्मा के उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 से 12 है। इस प्रकार दावे के पद संख्या-1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या-5 का 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-6 का 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-7 का 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/50 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 का 1/50 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-10 का 1/50 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-11 का 1/50 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 का 1/50 वा हिस्सा जरिये उत्तराधिकार बनता है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 12 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादी का दावे के पद संख्या 1 की 1/10 हिस्सा की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है वाद कारण विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा वांदी के कब्जे व काश्त में दिनांक 21.07.2022 को दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए तैयार नही होने

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी डिडवाना

पर बमुकाम ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 4.3767 हैक्टयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.7879 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.2972 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी का 1/10 वां हिस्सा की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया का दावा दिनांक 08.9.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम घाणामगरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 205 रकबा 4.3767 हैक्टयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.7879 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.2972 हैक्टेयर वादीया का 1/12 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	शोभा पुत्री गोदाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	205 291 237	0.3647 0.0944 0.1490
	कुल योग	3	0.6081
2	कमली पुत्री चिमनाराम 1/11 पतासी पत्नी चिमनाराम 1/11 रामलाल पुत्र चिमनाराम 1/11 संतोष पुत्री चिमनाराम 1/11 बालिदेवी पत्नी चुतराराम 1/11 जबराराम पुत्र प्रतापराम 3/22 नाथूराम पुत्र प्रतापराम 3/22 मांगीलाल पुत्र प्रतापराम 3/22 नरेश चौधरी पुत्र रामजीवन 3/110 मैना देवी पत्नी रामजीवन 3/110 विजयसिंह पुत्र रामजीवन 3/110 सुनिल पुत्र रामजीवन 3/110 सहिता पुत्री रामजीवन 3/110 जाति जाट सा.देह खातेदार	205 291 397	4.0120 1.0382 1.6389
	कुल योग	3	6.6891

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

उक्त सारणी के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीया व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.12.2025 के अनुसार वादीया के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है

तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादीया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.12.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीया बनाम **प्रतिवादीगण**
शोभा रामलाल वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 98/2022 दिनांक :– 21/04/26

निर्णय

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या– 1, 6 व 7 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.– 2 से 5 व 8 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या –13 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादीया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.12.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा